दिनांक 14–10–19

आज पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रशासनिक कार्यो में व्यस्त रहने के कारण पत्रावली का अवलोकन नहीं किया जा सका। अतः पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 18–10–19 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
महवा (जिला दौसा)

दिनांक 18–10–19

आज पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र ब्रीच के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम पाली तहसील महवा की आराजी खसरा नम्बर 764/2 रकबा 46 ऐयर सायला की खातेदारी व कब्जा काश्त की आराजी है। सायला दिनांक 30–6–18 को अपनी आराजी पर आयी तो गैरसायलान ने मौके पर आ गये तथा सायला को बेदखल कर कब्जा करने की धमकी दी। इस संबध में सायला द्वारा एक वाद संख्या 101/08 प्रेमदेवी बनाम रामसिंह वगैरा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया जो न्यायालय द्वारा दिनांक 23–6–08 को डिकी किया गया। न्यायालय द्वारा गैरसायलान को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने के बाद भी सायला के कब्जा काश्त में बाधा उत्पन्न की जा रही है। अतः गैरसायलान को निर्णय/डिकी का उल्लधन करने का दोषी मानते हुये उनकी चल व अचल सम्पत्ति कुर्क की जावे तथा सिविल जेल भेजा जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायान को नोटिस जारी किये गये किन्तु गैरसायलान दिनांक 13–11–09 को उपस्थित आये इसके पश्चात उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये।

उपखण्ड अधिकारी
महवा (जिला दौसा)

हमने सायला के विद्वान अभिभाषक की बहस का मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। सायला की ओर से प्रस्तुत डिक्री दिनांक 23–6–09 प्रदर्श ए–1 के अनुसार सायला का वाद बाबत भूमि खसरा नम्बर 764/2 रकबा 46 ऐयर प्रतिवादीगण रामसिंह वगैरा के विरूद्ध डिक्री करते हुये प्रतिवादीगण/गैरसायलान को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया कि वादी/प्रार्थी के कब्जा काश्त में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करें। सायला की ओर से मौखिक साक्ष्य में सायला व गवाह जगदीश के शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये है। न्यायालय द्वारा तहसीलदार महवा से वादग्रस्त भूमि के संबंध में मौके की रिपोर्ट तलब की गयी । मौका रिपोर्ट में अकित किया गया है खसरा नम्बर 764/2 रकबा 46 मौके पर कोई काश्त नहीं है तथा पडत पडा हुआ है। इससे यह तथ्य सामने आता है कि गैरसायलान का खसरा नम्बर 764/2 पर कोई कब्जा नहीं है। यदि गैरसायलान द्वारा सायला की खातेदारी की आराजी में कोई बाधा उत्पन्न की जाती है या उनके द्वारा वादग्रस्त आराजी में प्रवेश कर कब्जा करने या काश्त करने का प्रयास किया जाता है तो इस प्रकार की कोई घटना बाबत एफ.आई.आर की प्रति भी सायला द्वारा प्रस्तुत नहीं की गयी है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम यह पाते है कि सायला का प्रार्थना पत्र ब्रीच साक्ष्य के अभाव में प्रमाणित नहीं होता है। इसलिये स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

अतः सायला का प्रार्थना पत्र ब्रीच गैरसायलान् के विरूद्ध प्रमाणित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो व बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रतनलाल योगी)
उपखण्ड अधिकारी
महवा (जिला दौसा)